न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 58/2024 तारीख रजू:— 04.10.2024

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1.	श्रीपत पुत्र शिवदयाल	जाति सभी जाट निवासी हुक्मीखेडा,
2.	भरती पुत्र शिवदयाल	तहसील सूरौठ, जिला करौली
3.	सियाराम पुत्र शिवदयाल	राजस्थान। ———————— प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली —— अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित :— 1. श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :— 16.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के पिता शिवदयाल पुत्र दूल्हेराम जाट निवासी हुक्मीखेडा थे, जिन्हें आराजी साबिक खसरा नं 907 रकबा 15 बीघा सिवायचक बांकेतन ग्राम हुक्मीखेडा में से दिनांक 21.10.1975 को 8 विस्वा भूमि रेग्यूलाईज की गई थी, जिसका बटा नंबर 907/2 रकबा 8 विस्वा कायम किया गया था, नामांतकरण सं0 208 दिनांक 09.05.1976 को तस्दीक किया गया, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड जमांबदी (खेवट खतौनी) सम्वत 2034–2037 में बतौर गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया गया। तब से उक्त आराजी को पहले प्रार्थीगण के पिता शिवदयाल व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण विगत 47 वर्ष से लगातार काश्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि उक्त आराजी का नवीन खसरा नं 753/2257 रकबा 8 एयर कायम किया गया है, लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने मिलान क्षेत्रफल गलत बना दिया है, उक्त आराजी हाल खसरा नं 753/2257 रकबा 0.08 है0 की खातेदारी का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी मे कर दिया है। लेकिन प्रार्थीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने में तहसीलदार सूरौठ आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थीगण ने इस बाबत तहसीलदार सूरौठ को प्रार्थनापत्र व संबंधित दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड पेश किया, तो उन्होंने मिलान क्षेत्रफल देखकर प्रार्थीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान करने से मना कर दिया एवं पहले मिलान क्षेत्रफल में दुरूस्ती करवाने के लिये कहा, सेटलमेंट विभाग ने सहवन से लिपिकीय भूल से मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नं 907 के स्थान पर 917 लिख दिया है, जो काबिल दुरूस्ती है, हाल खसरा नं 753/2257 रकबा 0.08 है० पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है, प्रार्थीगण के पिता शिवदयाल एवं मां सरवती का देहांत हो चुका है, जिनके वारिसान प्रार्थीगण हैं, प्रार्थीगण का भाई भरोसी लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके वारिसान भी प्रार्थीगण है, प्रार्थीगण ही उक्त आराजी खसरा नं 753/2257 रकबा 0.08 है० बाकेतन ग्राम हुक्मीखेडा को लगातार आज दिन तक कास्त कर रहे हैं, वर्तमान इन्द्राज गैरखातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। उक्त वर्तमान खसरा नं 907 से कायम हुआ है, 917 से कायम नहीं हुआ है, न्याय हित मे उक्त दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित व न्याय संगत है। उक्त सेटलमेंट की गलती के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार जी से काफी अनुनय विनय किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिये यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि इस संबंध मे श्रीमान चाहे तो पटवारी हल्का से मौके व हाल साबिक रिकॉर्ड के संबंध में रिपोर्ट तलब कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र हाजा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 ले. रे. एक्ट पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर मिलान क्षेत्रफल ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली सम्वत 2046 में आराजी हाल खसरा नं 753/2257 रकबा 0.08 है० के सामने साबिक खसरा नं 917 के स्थान पर खसरा नं 907 रकबा 10 विस्वा बांकेतन ग्राम हुक्मीखेडा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे, तथा सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकीय गलती को ठीक करने का आदेश प्रदान किया जावे। तदानुसार दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार जी सूरौठ को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक कोर्ट/2025/49 दिनांक 26.03.2025 से जबाव पेश कण्र जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि भू अभिलेख निरीक्षक ढिंढोरा एवं पटवारी हल्का बेडा की रिपोर्ट के आधार पर जबाव निम्नानुसार है–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि हाल जमाबंदी (आनलाईन) ग्राम हुक्मीखेडा के आराजी ख०सं० 753/2557 रकबा 0.08 किस्म नहरी–2 खाता संख्या 393 भरती, भरोसी, श्रीपत, सियाराम पि0 शिवदयाल, सरवती पत्नि स्व0 शिवदयाल जाति जाट सा0 देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सम्बत 2034–37 में खातेदार शिवदयाल पुत्र दूल्हेराम जाति जाट खसरा संख्या 907 रकबा 08 विस्वा दर्ज रिकार्ड थी।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण संख्या 208 दिनांक 09.05.76 से सिवायचक से शिवदयाल पुत्र दुल्हेराम जाति जाट खसरा संख्या 907/2 रकबा 08 विस्वा दर्ज हुआ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सैटलमेंट विभाग द्वारा खसरा संख्या 917 से नया खसरा संख्या 753/2257 रकबा 0.08 है0 बनाया जिसका उल्लेख मिलान क्षेत्रफल में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तकरण सं0 49 नि0दिं0 09.05.1976, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2039—42 पेश की है।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 753/2257 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में भरती पुत्र शिवदयाल हि0 1/5, भरोसी पुत्र शिवदयाल हि0 1/5, श्रीपत पुत्र शिवदयाल हि0 1/5, सरवती पत्नि स्व0 शिवदयाल हि0 1/5, सियाराम पुत्र शिवदयाल हि0 1/5 जाति जाट सा0देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 917 मिन रकबा 10 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 753/2257 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ कायम किया गया है।

नकल नामान्तकरण सं0 49 नि0दिं0 09.05.1976 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 907 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन सिवायचक में से खसरा नम्बर 907/2 रकबा 8 बिस्वा का शिवदयाल पुत्र दूल्हराम जाति जाट सा0देह के नाम नियमन हो चुका हैं। गैरखातेदारी स्वीकार है, पटवारी अमल करे, दर्ज रिकार्ड है।

नकल खसरा गिरदावरी सं0 2039—42 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 907/2 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन में खातेदारी के कॉलम में शिवदयाल पुत्र दूल्हेराम जाट गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा काश्त के कॉलम में पडत बंजड दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 753/2257 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ की खातेदारी के कॉलम में भरती पुत्र शिवदयाल हि0 1/5, भरोसी पुत्र शिवदयाल हि0 1/5, श्रीपत पुत्र शिवदयाल हि0 1/5, सरवती पत्नि स्व0 शिवदयाल हि0 1/5, सियाराम पुत्र शिवदयाल हि0 1/5 जाति जाट सा0देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 917 मिन रकबा 10 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 753/2257 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ कायम किया गया है। नामान्तकरण सं0 49 नि0दिं0 09.05.1976 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 907 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील हिण्डौन सिवायचक में से खसरा नम्बर 907/2 रकबा 8 बिस्वा का शिवदयाल पुत्र दूल्हराम जाति जाट सा0देह के नाम नियमन हो चुका हैं। गैरखातेदारी स्वीकार है, पटवारी अमल करे, दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ने साबिक व हाल नक्शा ट्रेस की प्रति पेश नहीं की है तथा साबिक खसरा नम्बर 907 से कायम किये गये हाल खसरा नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान जमाबन्दी की प्रति भी पेश नहीं की है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत् विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 917 मिन रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 753/2257 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम हुक्मीखेडा तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली